# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–112/2019 (2019/00186) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–लेहरू पिता हांसा जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–नानु पिता गुलाब जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–बगतावर पिता भैरा जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–शिव नाबाबे जरिये माता कुसुमी बेवा गोपी जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर
3–कुसुमी बेवा गोपी जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–पंकज पिता सत्यनारायण नाबाबे जरिये माता देउ पत्नि सत्यनारायण जाट नि. बोरियापुरा
5–दिनेश पिता सत्यनारायण नाबाबे जरिये माता देउ पत्नि सत्यनारायण जाट नि. बोरियापुरा
6–देउ पत्नि सत्यनारायण जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–सोहनी बेवा रघुनाथ जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–नारायणलाल पिता रंगलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9–नानीबाई बेवा रंगलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10–कोयली बेवा मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशोहाली जरिये शाखा प्रबन्धक आशाहेली तहसील रायपुर
12–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विष्णु सुवालका, दिनेश सेन – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 22.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1608 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 1609 रकबा 0.23 है0 व आराजी संख्या 1640 रकबा 0.46 है0, भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 375 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण सदैव अपनी उक्त आराजियात में आवागमन पैदल, संज, बैल ट्रेक्टर आदि से विपक्षीगण की नवीन आराजी संख्या 1624, 1622, 1612, 1611 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ से होकर करते है लेकिन विपक्षीगण ने इस वर्ष उक्त रास्ते से होकर आवागमन करने से बाधा उत्पन्न की जिससे प्रार्थीगण फसल काश्त नही कर सके। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है हम इस रास्ते से होकर आवागमन नही करने देंगे। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता यही है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1624, 1622, 1612, 1611 की मे[illegible] रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेशित फरमा[illegible] एवं नियमानुसार रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:35:23 IST
Reason: SelfAttested

में समायोजित होने वाले रकबा की डीएलसी राशि विपक्षीगण को दिलाई जाने का आदेश फरमावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता का अंकन कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया जो पत्रावली है तथा विपक्षी संख्या 4 लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी 1 लगायत 3 की ओर से जवाब में अकंन किया कि प्रार्थीगण कभी भी हमारी आराजी संख्या 1264 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ से आवागमन नही कर रहे थे। प्रार्थीगण की आराजियात में आवगमन का वैकल्पिक रास्ता अलग से मौजुद है। जो प्रार्थीगण की आराजियात का वैकल्पिक मार्ग है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग मौजुद होने पर भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारीज योग्य है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थीगण ने ग्राम बोरियापुरा की सीमा में स्थित आराजी नम्बर 1608, 1609, 1640 पर आवगमन हेतु प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 1624, 1622, 1611, 1612 की मेड़ पर पर 15 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के आराजियात के चारो तरफ खातेदारी भूमिया स्थित है रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थीगण पूर्व में ग्राम बोरियापुरा से बाघपुरा जाने वाले रास्ते आराजी नम्बर 1625 से होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1624, 1622, 1612, 1611 की पश्चिमी मेड़ से होकर आवागमन करते थे। वर्तमान मे आराजी नम्बर 1624 के खातेदार द्वारा थोर की बाड़ व मिट्टी डोल डाल रास्ता अवरूद्व कर रखा है। प्रार्थीगण की आरायिजात में आवगामन हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजुद नही है। वर्तमान में प्रार्थीगण के आवगमन हेतु रास्ता अवरूद्व होने से आवागमन बन्द है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजी से आवागमन हेतु जो रास्ता चाहा गया है जिसकी डीएलसी दर 77247 प्रति बीघा होने से आराजी संख्या 1624 रकबा 0.63 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 1622 रकबा 0.17 है0 मे से 0.015 है0, आराजी संख्या 1612 रकबा 0.09 है0 मे से 0.01 है0, आराजी संख्या 1611 रकबा 0.10 है0 मे से 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.055 है0 भूमि की किमत 19663 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 39326 रूपये मुआवजा राशि बनती है। वर्तमान में चालु रास्ते को बल्यू स्याही से एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 से 10 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम सभी पक्षकार शामिल रहते है। हमारी आराजी में होकर रास्ता देने में हम सहमत है मुआवजा राशि नही लेना चाहते है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में अकिंत तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:35:23 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में आवागमन विपक्षीगणो की आराजियात में होकर किया जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट से प्रमाणित है। विपक्षी संख्या 4 से 10 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता देने में कोई आपत्ति नही होना दर्शाते हुए बिना मुआवजा राशि लिये रास्ता देने में सहमति व्यक्त की गई। एकमात्र खातेदारी में पहुंच का मार्ग उक्त प्रस्तावित आराजियात में होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1624 रकबा 0.63 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 1622 रकबा 0.17 है0 मे से 0.015 है0, आराजी संख्या 1612 रकबा 0.09 है0 मे से 0.01 है0, आराजी संख्या 1611 रकबा 0.10 है0 मे से 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.055 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 77247 रूपये प्रति बीघा होने से भूमि किमत 19663 रूपये की दुगुनी राशि 39326 रूपये मुआवजा राशि बनती है। जिसमें से विपक्षी संख्या 4 से 10 अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1611, 1612, 1622 में से प्रस्तावित रास्ते की मुआवजा राशि नही लेना चाहते है। विपक्षी क्रमांक 1 से 3 की आराजी संख्या 1624 की मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी खातेदार को भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:35:23 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—112 / 2019 (2019 / 00186) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लेहरू पिता हांसा जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नानु पिता गुलाब जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बगतावर पिता भैरा जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शिव नाबाबे जरिये माता कुसुमी बेवा गोपी जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर
3—कुसुमी बेवा गोपी जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—पंकज पिता सत्यनारायण नाबाबे जरिये माता देउ पत्नि सत्यनारायण जाट नि. बोरियापुरा
5—दिनेश पिता सत्यनारायण नाबाबे जरिये माता देउ पत्नि सत्यनारायण जाट नि. बोरियापुरा
6—देउ पत्नि सत्यनारायण जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—सोहनी बेवा रघुनाथ जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—नारायणलाल पिता रंगलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—नानीबाई बेवा रंगलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—कोयली बेवा मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशोहाली जरिये शाखा प्रबन्धक आशाहोली तहसील रायपुर
12—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

## प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1624 रकबा 0.63 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 1622 रकबा 0.17 है0 मे से 0.015 है0, आराजी संख्या 1612 रकबा 0.09 है0 मे से 0.01 है0, आराजी संख्या 1611 रकबा 0.10 है0 मे से 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.055 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 77247 रूपये प्रति बीघा होने से भूमि किमत 19663 रूपये की दुगुनी राशि 39326 रूपये मुआवजा राशि बनती है। जिसमें से विपक्षी संख्या 4 से 10 अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1611, 1612, 1622 में से प्रस्तावित रास्ते की मुआवजा राशि नही लेना चाहते है। विपक्षी क्रमांक 1 से 3 की आराजी संख्या 1624 की मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी खातेदार को भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

22.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:35:23 IST
Reason: SelfAttested